

श्री भीषम प्रताप सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना संख्या 18/2/413 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०सं०	शून्यकाल सूचना सं०-18/2/413	उत्तर प्रतिवेदन
1	<p>क्या जल संसाधन विभाग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे :</p> <p>सिवान जिलान्तर्गत 'सारण नहर प्रमंडल' के हथुआ शाखा नहर 90 RD से 183 RD तक बनी सिंगल कालीकरण सड़क चार विधानसभा को जोड़ती है। इससे काफी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। अतः मैं सदन के माध्यम से उक्त सड़क की चौड़ीकरण की माँग करता हूँ।</p>	<p>वस्तुस्थिति यह है कि:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • सिवान जिलान्तर्गत सारण नहर प्रमंडल, मैरवा के क्षेत्राधीन हथुआ शाखा नहर कि०मी० 27.43 (90 RD) से कि०मी० 55.80 (183 RD) तक (कुल लंबाई 28.47 कि०मी०) है। • उपर्युक्त शाखा नहर पर अवस्थित सेवा पथ नौतन प्रखंड के रामगढ़ ग्राम (90 RD) से आन्दर प्रखंड के तिर्यौय गाँव (183 RD) के पास चौदपुर वितरणी पर अवस्थित डबल लेन सेवापथ से जुड़ती है। • हथुआ शाखा नहर के कि०मी० 27.43 (90 RD) से कि०मी० 55.80 (183 RD) तक एकल पथीय कालीकृत सेवा पथ का निर्माण कार्य एकरारनामा संख्या- 01-SBD/2017-18 दिनांक 01.02.2018 के अन्तर्गत कराया गया है, जिसका Maintenance Period 16.08.2026 तक है। • विदित हो कि हथुआ शाखा नहर के अन्तिम छोर (183 RD) से निःसृत चौदपुर वितरणी के सेवापथ पर डबल लेन सेवा पथ, पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्मित है, जो सिसवन सिवान पथ (NH-227A) को जोड़ती है। ऐसी स्थिति में हथुआ शाखा नहर 90 RD से 183 RD तक एकल पथीय सेवापथ होने के कारण वाहनों का परिचालन धीमी हो जाती है। हथुआ शाखा नहर विभिन्न प्रखंडों, जैसे नौतन, जिरादेई, मैरवा, दरौली एवं आन्दर के अधीन अनेकों गाँव के ग्रामीणों के आवागमन का माध्यम है। • वर्तमान में हथुआ शाखा नहर के कि०मी० 27.43 से कि०मी० 55.80 कि०मी० (90 RD से 183 RD) तक निर्मित एकपथीय कालीकृत सड़क के चौड़ीकरण कार्य हेतु कोई प्रस्ताव प्रावधानित नहीं है। • अगर सड़क निर्माण से संबंधित विभाग द्वारा एकपथीय कालीकृत सड़क के चौड़ीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की माग की जाती है तो नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्यवाई की जाएगी।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0स0शून्य(सि0)-13-23/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अवर सचिव बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के प्रसंग में शून्य काल सूचना सं0-18/2/413 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0शून्य(सि0)-13-23/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0शून्य(सि0)-13-23/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0शून्य(सि0)-13-23/2026-

2025

पटना, दिनांक- 07/05/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

07/05/26